

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) डिण्डौरी
जिला-डिण्डौरी (म0प्र0)

क्रमांक/एमपीसरस/सहा.आयु./2021/1572

डिण्डौरी दिनांक

//अतिथि शिक्षकों के लिए विज्ञापन//

02.9.21

आयुक्त जनजातीय कार्य सह सचिव म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल एकेडमिक सोसायटी भोपाल के पत्र क्रमांक/एमपीसरस/435/2021/959 भोपाल दिनांक 03.08.2021 पत्र के अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डिण्डौरी, शहपुरा, करजिया, मेहंदवानी अंतर्गत सत्र 2021-22 में कक्षा 6वीं से 12वीं तक अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट www.emrsdindori.com के सूचना पटल में देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महो० द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग डिण्डौरी

जिला-डिण्डौरी (म0प्र0)

डिण्डौरी दिनांक

02.9.21

पृ.क्रमांक/स्था./सहा.आयु./2021/1572A
प्रतिलिपि

1. जिला जनसम्पर्क अधिकारी डिण्डौरी कृपया दो दैनिक समाचार पत्र के जबलपुर पृष्ठ में प्रकाशित कराये जाने हेतु सम्प्रेषित।

सहायक आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग डिण्डौरी

जिला-डिण्डौरी (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) डिण्डौरी
जिला-डिण्डौरी (म0प्र0)

क्रमांक/एमपीसरस/सहा.आयु./2021/ 1573

डिण्डौरी दिनांक ...02-9-21

// अतिथि शिक्षकों के लिए विज्ञापन //

आयुक्त जनजातीय कार्य सह सचिव म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल एकेडमिक सोसायटी भोपाल के पत्र क्रमांक/एमपीसरस/435/2021/959 भोपाल दिनांक 03.08.2021 पत्र के अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डिण्डौरी, शहपुरा, करंजिया, मेहंदवानी अंतर्गत सत्र 2021-22 में कक्षा 6वीं से 12वीं तक अध्यापन कार्य हेतु निम्न विषयों के अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है :-

क्र.	विषय	पद	एकलव्य विद्यालय डिण्डौरी	एकलव्य विद्यालय शहपुरा	एकलव्य विद्यालय करंजिया	एकलव्य विद्यालय मेहंदवानी	अनिवार्य योग्यता
1	हिन्दी	पीजीटी (वर्ग 01)	0	1	1	1	1. विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। 2. बी.एड. 3. हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाने की दक्षता।
2	अंग्रेजी		1	1	1	1	
3	गणित		1	1	1	0	
4	भौतिक शास्त्र		1	1	1	1	
5	रसायन शास्त्र		1	1	1	1	
6	जीव विज्ञान		0	1	1	1	
8	इतिहास		1	1	1	1	
9	भूगोल		1	1	1	1	
10	वाणिज्य		1	0	1	0	
11	अर्थशास्त्र		1	1	1	1	
12	अंग्रेजी		टीजीटी (वर्ग 02)	2	1	2	
13	गणित	1		0	2	1	
14	हिन्दी	1		0	1	0	
15	विज्ञान	1		0	2	1	
16	सामाजिक विज्ञान	1		0	1	0	
17	संस्कृत	1		1	1	1	
18	संगीत शिक्षक	1		1	1	1	विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं समकक्षा।
19	क्राफ्ट शिक्षक	1	0	1	0	विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं समकक्षा।	
20	क्रीड़ा शिक्षक	1	1	1	1	विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं समकक्षा।	
कुल योग			18	13	23	14	

शर्तें :-

- आवेदन निर्धारित प्रारूप में सभी दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर निर्धारित दिनांक 12.09.2021 तक स्वयं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डिण्डौरी के नाम से कार्यालयीन समय में जमा करें। निर्धारित दिनांक उपरांत प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(Handwritten signature and date)
2-9-21

2. एक से अधिक पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा।
3. शासकीय विद्यालयों जो सीबीएसई पाठ्यक्रम से संचालित है, में अध्यापन अनुभवधारी अभ्यर्थियों की अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी!
4. प्राप्त आवेदनों की जांच के उपरांत प्राप्तांकों, साक्षात्कार एवं अनुभव अंकों के आधार पर मेरिट सूची अनुसार अतिथि शिक्षकों का पेनल तैयार कर, वरीयताक्रम के अनुसार अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
5. राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि होने की स्थिति में चयनित अतिथि शिक्षक पेनल में से वरीयता क्रम से ही अतिरिक्त अतिथि शिक्षक नियुक्त किया जावेगा।
6. साक्षात्कार हेतु पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान की सूचना पृथक से दूरभाष/व्हाट्सअप अथवा मेल आईडी से की जावेगी।
7. ऐसे टीजीटी अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, उन्हें अधिकतम प्रतिमाह मानदेय 26250/- तथा जिनके द्वारा सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, उन्हें मासिक मानदेय अधिकतम राशि रुपये 15000/- प्रदान किये जाएंगे। पीजीटी अतिथि शिक्षकों को मासिक मानदेय अधिकतम राशि रुपये 27500/- का भुगतान किया जावेगा।
8. चयनित अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवासीय होने से विद्यालय परिसर में निवास कर अध्यापन कार्य के साथ-साथ निदानात्मक शिक्षण, ऑब्जर्वेशन स्टडी एवं अन्य विद्यालयीन कार्य करना अनिवार्य होगा।
9. अधिक जानकारी के लिए प्रचलित शैक्षणिक अर्हताएं इत्यादि www.emrsdindori.com के सूचना पटल में देखी जा सकती है।
(कलेक्टर महो० द्वारा अनुमोदित)



सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग डिण्डौरी
जिला-डिण्डौरी (म०प्र०)